UPSR040122182025

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

क्रिमिनल मिस/1318/2025

आबिद हुसैन बनाम. सज्जाद खाँ

दिनांक 23.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। आवेदक आबिद हुसैन के विद्वान अधिवक्ता को प्रा० पत्र अंतर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. आवेदक आबिद हुसैन की ओर से विपक्षीगण सज्जाद खाँ व अन्य के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर संक्षेपतः यह कथन किया गया है कि आवेदक अपनी पुत्री जैनब बेगम के निकाह के लिए विपक्षीगण के घर गया और विपक्षी सं० 1 से निकाह की इच्छा जाहिर की, विपक्षी सं० 2 लडके के पिता और विपक्षी सं० 3 लडके के भाई है। आवेदक और विपक्षी सं० 1 के बीच निकाह हेतु बात तय हो गयी तब आवेदक कुछ रिश्तेदारों के साथ विपक्षीगण के घर गये और शादी के पूर्व विभिन्न रश्म रिवाज के रूप में 51000 रु0 नकद लेकर आवेदिका की पुत्री और विपक्षी सं० 1 का निकाह रिश्तेदारों की उपस्थिति में तय किया गया और निकाह की तारीख 26.11.2025 मुकर्रर की गयी, निकाह तय होने के बाद आवेदक व विपक्षीगण के परिवार से बात चीत होने लगी विपक्षी सं० 1 ने आवेदिका की पुत्री से भी जरिये फोन बात चीत करने लगा। शादी की तारीख नजदीक आते ही आवेदक ने पुत्री की शादी का इन्तेजाम करना शुरू कर दिया, निकाह के कुछ दिन पहले विपक्षी सं० 1 ने आवेदक को फोन किया और अतिरिक्त दहेज के रूप मे एक चार पहिया कार की मॉग करने लगे आवेदक ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुये असमर्थता जतायी। आवेदक ने विपक्षीगण से कई बार निवेदन किया कि आप द्वारा पहले यह माँग नहीं की गयी थी निकाह की तारीख मुकर्रर हो चुकी है इसलिए वे निकाह कर लेवे अन्यथा समाज में आवेदक की बदनामी होगी, लेकिन विपक्षीगण मानने को तैयार नहीं हुये

और निकाह करने से इन्कार कर दिया। आवेदक ने विपक्षीगण से जरिये फोन घर आकर बात चीत करने हेतु घर बुलाया विपक्षी स० 1 ता 3 व कुछ अन्य व्यक्ति के साथ दिनांक 25. 11.2025 को आवेदक के घर आये तब आवेदक ने पुनः निवेदन किया कि निकाह का सब इन्तेजाम पूरा हो चुका है निकाह करने से मना न करें, किन्तु विपक्षीगण बिना मॉग पूरे किये निकाह के लिए मानने को तैयार नही हुये तब आवेदक ने रश्म के नाम पर ली गयी रकम वापस करने को कहा जिस पर विपक्षीगण एक राय होकर अमादा फौजदारी हो गये और आवेदक व उसकी बेटी को गाली गलौज देने लगे। आस पास कई लोग के आ जाने के कारण विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुये वापस चले गये। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।

आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक की ओर से स्वयं का शपथ पत्र तथा फेहरिस्त से पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को दिये गये प्रार्थनापत्र की छाया प्रति, रजिस्ट्री रसीद तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना स्थानीय से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदन पत्र में वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत न होने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण की सत्यता को परखने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी से प्रारम्भिक जॉच आख्या आहूत की गयी। प्रारम्भिक जॉच आख्या में मुख्य रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि आवेदक व विपक्षीगण के मध्य शादी को लेकर विवाद हुआ था जिसमें आपस में दोनों पक्षों द्वारा सुलहनामा किया गया था इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कोई ठोस साबूत व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा न्यायालय को गुमराह करके मुकदमा लिखवाने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र दिया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा प्रा० पत्र में किये गये कथनों तथा थाने से प्राप्त प्रारम्भिक जाँच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक व विपक्षीगण के मध्य शादी को लेकर मुख्य रूप से विवाद है, जिसमें आपस में दोनों पक्षों द्वारा सुलहनामा किया गया था। आवेदक द्वारा कोई ठोस सबूत व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा वैवाहिक विवाद को लेकर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण पर दबाव बनाने के आशय से प्रार्थनापत्र योजित कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम राज्य उ०प्र०** में

पारित विधि व्यवस्था क्रिमिनल अपील नं० 781/2012 निर्णीत दिनांकित 19.3.2015 में यह अवधारित किया है कि न्यायालय की प्रक्रिया को किसी व्यक्ति के प्रति दबाव बनाने अथवा शोषण करने हेतु हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त निर्णय तथा प्रारम्भिक जांच आख्या व संलग्न प्रपत्रों के प्रकाश में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने हेतु उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। प्रा० पत्र अंतर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक आबिद हुसैन का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. तदनुसार खारिज किया जाता है।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।